15.55 hrs.

CENSUS (AMENDMENT) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Census Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is a very simple and non-contentious Bill. In 1948, the present operative Act, *viz.*, the Census Act was passed. Formerly during the British administration, the Census Act was applicable to Jammu and Kashmir State as in other parts of India. But in 1951, on account of certain difficulties, it could not be had in Jammu and Kashmir. As you are aware, the Constitution makes certain provisions so far as the applicability to the State of Jammu and Kashmir State is concerned, because the powers have been reserved.

15.56 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

In 1954, an order was passed by the President in concurrence with the Government of Jammu and Kashmir, under which the powers of the Central Government were extended to Jammu and Kashmir in a number of cases. But so far as the question of census which is covered by item 69 of the Union List is concerned, inasmuch as there was no urgency, that matter remained as such in the sense that though census is in the Union List, still it would not automatically apply to the State of Jammu and Kashmir. As you are aware, the census of 1961 is going to be held and preliminary preparations have to be made.

In concurrence with the Jammu and Kashmir Government, inasmuch as in that State conditions are now normal and inasmuch as it would be advisable to have a general census, which has a great value so far as the country's interests are concerned, because we know a number of facts and a wealth of statistical information is collected, which has a great bearing upon the economic development and other considerations of the area concerned, therefore, during this year, again a President's order was issued in concurrence with the Government of Jammu and Kashmir, according to which it has now been made possible that item 69 in the Union List would be made applicable to Jammu and Kashmir. It is for this purpose that the present Bill has been brought forward to amend the Act of 1948.

This is a very simple Bill. All that is sought to be done is that the words "except the State of Jammu and Kashmir" occurring in sub-section (2) of section 1 of the Census Act of 1948 should be omitted. This amendment will have the effect of bringing the State of Jammu and Kashmir in this respect on a par with the other States in India, so that when the census operations are held in 1961, it would be possible to have them in the State of Jammu and Kashmir also. This is the operative portion.

There is another provision dealing with the offences committed in the course of census operations. All these have been provided for so far as India is concerned in the Indian Penal Code and the procedural provisions in the Indian Evidence Act. These Acts by themselves are not yet in operation in the States of Jammu and Kashmir. Therefore, in clause 3, a provision has been made that:

> "Any refrence in this Act to the Indian Penal Code or the Indian Evidence Act, 1872, shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir, be construed as reference to the corresponding enactment in force in that State."

This provision is necessary, because things have to be provided for in a proper manner.

An hon. Member has brought forward an amendment stating that all

[Shri Datar]

the rules that are made under the provisions of this Act shall be placed on the table of both Houses of Parliament. So far as this matter is concerned, may I point out that no rules were made under the Act of 1948 for the simple reason under the Census Act of 1948 only provision is made administratively for carrying on the operations of census in the various parts of India. Therefore, inasmuch as no rules were framed under the Act of 1948, no question arises of having any rules framed as is in the view of this amendment. Therefore that question is not relevant so far as the present Bill is concerned.

16 hrs.

Therefore I submit that this Bill be taken into consideration.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Census Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत इस बिल के ऊपर चरितार्थ होती है । न सिर्फ़ सेंसस के संबंध में बल्कि कुछ और भी प्रश्न है जिन के कि सम्बन्ध में इस सदन् को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

सन् १९६१ में जो सेंसस होने जा रहा है उसके बारे में हम क़ानून बनायें, यह एक अच्छी बात है । यह हमारी उस परम्परा को पूरा करने वाली बात है और जो कि हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के एक हिस्से काश्मीर के हमारे सम्बन्धों को एक करने की एक कड़ी जो बनती है उसको पूरा करने वाली बात है ।

इसी सदन् ने पिछले वर्ष आल इंडिया एलेक्शन का क़ानून काश्मीर पर लागू कर के एक स्वागत योग्य कार्य किया था और दूसरा स्वागत योग्य कार्य यह किये जाने को है लेकिन मैं इस वक्त ज़रा इस सदन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं कुछ और दूसरे कार्यों की तरफ जो कि काश्मीर के संबंध में इस सदन् को करने चाहियें । खास तौर से एलेक्शन कमिशन का अधिकार-क्षेत्र और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार-क्षेत्र काश्मीर पर भी लागू हो, यह बात काश्मीर की जनता बहुत दिन से कहती रही है और काश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट और एलेक्शन कमिशन का अधिकार क्षेत्र न रहने से कुछ इस तरह की बातें होती हैं और कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं जिन को कि नहीं होना चाहिये ।

अभी काश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिन के बारे में वहां के नेता श्री सादिक ने हमारे यहां कुछ पार्लियामेंट के मेम्बरान को तार भेज कर इस बात की शिकायत की कि वहां कि असेम्बली के एक मेम्बर साहब कहीं मीटिंग करने जा रहे थे तो उन्हें मीटिंग न करने दी जाय इसलिये उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर डकैती का मुकद्मा लगाया गया । अब क्या उस की स्थिति है मैं इस के बारे में इस अवसर पर जाना नहीं चाहता लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि काश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र लागू हो जाय तो वहां की जनता को यह विश्वास प्राप्त हो सकता है कि अगर वहां पर कोई गड़ बड़ी होती है, कोई गैर-कानूनी बात होती है तो वहां के नागरिक भी सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी बात कह सकते हैं और फ़रियाद रख सकते हैं । एक बड़ी विचित्र स्थिति काश्मीर हाई कोर्ट की भी है । काश्मीर हाईकोर्ट के जजेज वहां की स्टेट गवर्नमेंट के मातहत रहते हैं जब कि भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश के हाईकोर्ट के जजेज वहां की राज्य सरकार के मातहत नहीं होते हैं । इस के अतिरिक्त जम्मू व काश्मीर हाई कोर्ट के जजेज को उतना वेतन नहीं मिलता है जितना कि इंस्पैक्टर जनरल आफ़ पुलिस को मिलता है जिसका परिणाम यह होता है कि पुलिस का महत्व कुछ अधिक माना जाता है, मिलिस्टरों का कुछ अधिक माना जाता है । और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका उतना महत्व नहीं माना जाता । इसलिए

यह बहुत ही आवश्यक है कि वहां की जनता के दिल व दिमाग में यह भावना पैदा करने के लिए कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त है जैसे कि भारतवर्ष के किसी अन्य प्रदेश के नागरिक को प्राप्त है, यह आवश्यक है कि यह सदन् आवश्यक कदम उठाये ताकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र काश्मीर पर लागू हो।

इसी तरह से जब वहा पर चुनाव होते है तो अक्सर इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती है कि चुनावो में निष्पक्षता नही बर्ती गई और इस का कारण यह है कि वहा के चुनाव वहा की सरकार द्वारा कराये जाते है और इस नाते यह हो सकता है कि जो वक्त की सरकार हो वह अपनी पार्टी के प्रति कोई पक्षपात व्यवहार करे और इस लिये यह आवश्यक हो जाता है कि ए लैक्शन कमिशन जिस तरह से भारतवर्ष के अन्य प्रान्तो में चुनाव कराता है और उन पर कट्रोल रखता है उसी तरह से वह काश्मीर में भी कराये। असल में हमें इस बिल को पास करते वक्त इस भावना को ध्यान में रखना चाहिये कि हम काश्मीर के प्रश्न को हिन्दुस्तान के अन्य राज्यो के प्रश्न से भिन्न स्तर पर रख कर नही हल कर सकते। हमें इस में और अधिक देर नही लगानी चाहिये और जल्दी से जल्दी इस बात के लिए उचित कदम उठाने चाहिये ताकि काश्मीर भी अन्य भारतवर्ष के प्रदेशो की भाति इस देश का एक अग और प्रदेश बन जाय और उस में और अन्य प्रदेशो में कोई फर्क न रहे।

मैं इस तरह की कोई बात नही कहना चाहता कि यह सदन् अपनी राय काश्मीर पर थोप दे। जब काश्मीर की जनता ने अपनी विधान निर्मात्री परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव पास किया है कि वह हिन्दुस्तान का एक अग है और आज हमारे आजाद होने के बाद जो वहा के महाराजा थे उन्होने भी कुछ इस तरह की बात कही है तो फिर आज कोई वजह नही रह जाती है कि हम काश्मीर को भारतवर्ष के अन्य राज्यो के समान राज्य न मानें और उसको पूर्णरूप से भारत का अंग मानें। काश्मीर को इस तरह का अग न मानने की वजह से बहुत कुछ कठिनाइया पैदा होती है। काश्मीर के प्रश्न ने न सिर्फ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक खाई पैदा की बल्कि दुनिया में एक बहुत बडा बडर पैदा कर दिया है और उस प्रश्न को लेकर दुनिया की बडी ताकतें नाजायज फ़ायदा उठाने की बात करती है। इसलिए यह चीज जितनी जल्दी हम कर देंगे उतना ही हमारे लिए भला होगा और न केवल हमारे लिए भला होगा बल्कि पाकिस्तान की जनता के लिए भी भला होगा और दुनिया की उन ताकतो को भी इस से नाजायज फायदा उठाने का मौका नही मिलेगा जो कि आज विभिन्न गुटो में रह कर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए काश्मीर के प्रश्न को उछालती रहती हैं।

सन् १९६१ में यह जो सेंसस् होने जा रहा है तो हमे यह देखना होगा कि हमें उस क्षेत्र के बारे में क्या करना होगा जो कि आक्युपाइड काश्मीर कहलाता है, जो कि पूर्णरूप से काश्मीर का एक अग है लेकिन जो कि आज अभी हमारे कब्जे में नही है और जिस अपने अग को हम कभी किसी सूरत में नही छोड सकते। इस लिए मैं तो चाहूगा कि सेंसस् होने के बीच के काल में कुछ ऐसी आवश्यक और उचित कार्यवाही कर ली जाय जिस में कि काश्मीर का वह अविछिन्न अग जिस पर कि आज पाकिस्तानियो का कब्जा है और जो कि आक्युपाइड काश्मीर कहलाता है, उस मे भी सेंसस् की कार्यवाही की जा सके और वहा पर भी मतगणना की जा सके और यह तभी हो सकेगा जब कि हम कोई इस तरह का कदम उठाते है जिस से कि वह क्षेत्र जिसको आक्युपाइड काश्मीर कहा जाता है, वह क्षेत्र भी हमारे अपने साथ आ जाय। मुझे लगता है कि अभी तक सरकार की तरफ़ से कोई ऐसे सक्रिय कदम नहीं उठाये जा रहे है, ऐसी कोई सक्रिय

[श्री इजराज सिंह]

कार्यवाही नहीं की जा रही है जिस से कि ऐसा संभव हो सके। इस के लिए यह जरूरी है कि जम्मू व काश्मीर प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट और एलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र लागू हो रेलें बनें और अन्य यातायात के साधन वहां पर सुलभ किये जांय जिनकी कि चर्चा जम्मू काश्मीर प्रदेश से आये हुए माननीय सदस्य यहां पर प्रायः किया करते हैं। यह बहुत आवश्यक चीजें हैं। हमें इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिये जिस से कि दुनिया की निगाह काश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग दिखाई दे और काश्मीर व भारत के अन्य प्रान्तों में कोई किसी किस्म का फ़र्क न रह जाय।

आज जो बिल सदन के सम्मुख है मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस बिल को लाकर एक अच्छा काम कर रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिये और स्वागत किया भी जा रहा है लेकिन जैसे मैंने बतलाया यह सुप्रीम कोर्ट व एलेक्शन कमिशन के अधिकार क्षेत्र को वहां पर लागू करने की बातें भी आवश्यक चीजें हैं और जिनको कि बहुत ही जल्द लागू करने की जरूरत है।

मुझे इस बात की खुशी है कि कश्मीर में जिस नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है उसने भी यह प्रस्ताव पास किया हुआ है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र लागू किया जाय। मैं जानना चाहूंगा कि इसको अमल में लाने में शीघ्रता क्यों नहीं बर्ती जा रही है? ऐसा होने से आज उन लोगों को जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से भिन्न विचार रखते हैं और राजनैतिक मतभेद रखते हैं और जिन्हें इस बात की शिकायत रहती है कि वहां का सत्तारूढ़ दल उनके प्रति वैमनस्य और दुश्मनी का भाव रखता है और चूंकि हाईकोर्ट जजेज वहां की स्टेट गवर्नमेंट के मातहत होते हैं इसलिये उन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाता है, काश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ा देने से उनकी यह शिकायत दूर हो जायेगी और जैसी कि उनकी मांग है उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

मैं चाहूंगा कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमिशन के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के बारे में जल्दी से जल्दी विचार किया जाय और उस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाये

काश्मीर के लिये यह जो सेंसस का कदम उठाया गया है उसका स्वागत है लेकिन एक दुर्भाग्य है कि काश्मीर का एक हिस्सा जो हमारे कब्जे में नहीं है उसका सेंसस किस तरह से होगा। उसके बारे में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न उठ सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न हों चाहे राष्ट्रीय प्रश्न हों अन्ततः उनके लिये जिम्मेदार तो हमारी सरकार ही है। जिस तरह से भी हो, सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिये कि आकुपाइड काश्मीर के क्षेत्र में सेंसस हो सके। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाये।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर): चेयरमैन महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। अगर आगे चल कर काश्मीर वालों को सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमिशन वहां लागू होने का फायदा भी मिला तो मैं समझूंगा कि इस सेंसस से उनको फायदा हुआ। काश्मीर का सवाल एक टेढ़ा सवाल हो गया है। बचपन में जब हम चूइंगगम खाते थे तो पहले तो वह मीठा लगता था लेकिन बाद में खत्म नहीं होता था। काश्मीर का सवाल भी हमारे देश के लिये कुछ इसी तरह का सवाल हो गया है। पहले तो वह मीठा मालूम हुआ लेकिन अब वह फेंका नहीं जाता। सवाल यह है कि किस तरह से काश्मीर के

भाइयों को उन जम्हूरी उसूलों का फायदा दिलाने की कोशिश की जाये जो कि हमारी सरकार की बुनियाद हैं ।

एक नई चीज हम लोग अक्सर देखते हैं कि काश्मीर के तरह तरह के नक्शे बनाये जाते हैं । अभी दो एक दिन पहले मेरे माननीय सदस्य श्री प्रभात झा जी ने कहा कि एक अंग्रेज बैंक नेशनल [redacted] ने, हिन्दुस्तान का एक नक्शा छापा है जिसमें काश्मीर को दूसरे रंग में दिखाया गया है जिससे यह मालूम होता है कि वह कोई अलाहिदा देश है । तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक काश्मीर को वे सारे प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं दे देंगे जो कि उनको मिलने चाहियें तब तक साम्राज्यवादी शक्तियां उसको एक जंगी अखाड़ा बना कर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करती रहेंगी । इसलिये मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन यह है कि जो सेंसस आप वहां करेंगे यह तो ठीक है, हां, लेकिन इसके साथ ही वहां के लोगों को दूसरी सहूलियतें मिलने में देरी नहीं होनी चाहिये । यह ठीक है कि वहां की नेशनल कान्फ्रेंस ने अभी तक कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें काश्मीर में इलेक्शन कमिशन और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू करने की मांग की गयी है । लेकिन यहां जवाब में बतलाया गया कि यह चीज वहां की सरकार की तरफ से इस सरकार के पास आनी चाहिये, उसके बाद यह सरकार उस पर विचार करेगी । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि इन चीजों पर संजीदगी के साथ विचार किया जाये और इस दिशा में कदम उठाया जाये ताकि साम्राज्यवादी शक्तियां वहां नाजायज फायदा न उठा सकें । आज काश्मीर का सवाल हमारे देश की इज्जत का सवाल बना हुआ है, लोगों ने उसे इज्जत का सवाल बनाया है । उसके लिये करोड़ों रुपये खर्च करते हुये भी कभी लोगों ने रुपये देने में गुरेज नहीं किया, कभी कोताही नहीं की और काश्मीरियों ने इज्जत को अपनी इज्जत समझ कर हमेशा लोगों ने जो कुछ भी कुरबानी काश्मीर को रखने के लिये जरूरी हुई की । तो मैं आप लोगों के सामने यही रखना चाहता हूं कि हमको काश्मीर में जो प्रजातांत्रिक उसूलों की और चीजें हैं उनको भी धीरे धीरे लागू करना चाहिये । अगर हम यकलख्त ऐसा न कर सके तो हमको जल्दी से जल्दी ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि वहां के लोगों को सारी प्रजातांत्रिक सहूलियतें मिल सकें । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय काश्मीरियों के मसले को संजीदगी के साथ सोचें ।

अभी कुछ दिन हुये एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान काश्मीर के कुछ गावों को पानी नहीं दे रहा है और गांव वाले परेशान हैं आप देखें कि हम तो पाकिस्तान को बराबर पानी दे रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वह भी हमारे देश का एक टुकड़ा रहा है, वहां भी हमारे ही भाई रहते हैं । गोकि अंग्रेज ने हमको चूस कर सफेद कर दिया, और हमको उनसे अलग कर दिया, फिर भी हम उनसे भाईचारा मानते हैं । लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारे काश्मीरी भाइयों को उधर से पानी नहीं मिल रहा है । मैं नहीं कह सकता कि यह रिपोर्ट कहां तक सही है हम आशा करते हैं कि उसके बारे में मंत्री महोदय पूरी रिपोर्ट सदन के सामने रखेंगे ।

काश्मीर के लोग चाहते हैं कि वह भी प्रजातांत्रिक उसूलों पर चलें । इस दिशा में यह मर्दुमशुमारी करने का पहला कदम है । इसके बाद उनको दूसरे हकूक भी देने की कोशिश की जानी चाहिये । मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों को ध्यान में रख कर आज काश्मीर के सवाल को सोचें । पहले छोटी छोटी चीजों को वहां लागू करे पर बाद में दूसरी चीजों को भी लागू करने के लिये कदम उठाये ।

[श्री स० म० बनर्जी]

आज जो यह बिल लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम काश्मीरियों के सवाल को इस तरह से सोचें कि काश्मीरियों की इज्जत हमारी इज्जत है और वह हिन्दुस्तान का अंग है। चाहे साम्राज्यवादी उसको किसी भी निगाह से देखें लेकिन काश्मीर हिन्दुस्तान का रहा है और रहेगा और वहां की जनता को वे सारी जम्हूरी सहूलियतें मिलेंगी जो कि बाकी हिन्दुस्तान की जनता को प्राप्त हैं। अगर इस सिलसिले में उसको कोई नुकसान होगा तो उसको भी वह उठायेगा क्योंकि वह भी हिन्दुस्तान का एक जुज है। हिन्दुस्तान से अलग नहीं है।

श्री प्र० मा० सिंह (चन्दौली) श्रीमन्, सेंसस ऐक्ट को काश्मीर में लागू करने के सिलसिले में यह संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। जहां तक काश्मीर को हिन्दुस्तान का एक अभिन्न अंग समझ कर उस पर हिन्दुस्तान के केन्द्रीय कानूनों को लागू करने का सवाल है, उसमें इस सदन का हर एक सेक्शन उसका स्वागत करेगा।

इसी के साथ साथ, जैसा कि अभी दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं इस अवसर पर यह बात कहना चाहता हूं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है। अब इस सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं रह गयी हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय कानूनों को शीघ्रातिशीघ्र जम्मू और काश्मीर में लागू किया जाना चाहिये। इस अवसर पर जब कि हम यह सेंसस अमेंडमेंट बिल सन् १९५९ वहां लागू करना चाहते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि अभी भी काश्मीर में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमिशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है जिस तरह से कि बाकी हिन्दुस्तान में है। इस अवसर पर जब कि हम सेंसस ऐक्ट वहां भी फैलाने जा रहे हैं तो हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जूरिस्डिक्शन भी फैलावें ताकि आगे वहां से पीपिल्स रिप्रेजेंटेटिव चुन कर इस सदन में आवें। इससे काश्मीर का मसला जल्दी हल हो सकेगा और काश्मीर का इंटीग्रेशन हिन्दुस्तान के साथ अधिकाधिक हो पायेगा।

इसी के साथ साथ जम्मू और काश्मीर में वहां के लोगों की कुछ दिक्कतें भी हैं। कुछ वहां के लोगों ने समय समय पर शिकायतें भी की हैं और उन शिकायतों के सिलसिले में इस बात को कहा है कि वहां पर सिविल लबर्टीज—शहरी आजादी—नागरिक स्वतंत्रता—का जो ठीक तरीके से इस्तेमाल होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है और उसमें रूलिंग पार्टी के द्वारा सप्रैशन की कोशिश की जाती है। जिस तरह से कि हम सैन्सस ऐक्ट को काश्मीर में लागू कर रहे हैं, उसी तरह से यदि हम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की जूरिसडिक्शन को भी वहां लागू कर दें, तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि इस किस्म की जो दिक्कतें वहां पर समय समय पर पैदा हो रही हैं, वे नहीं होंगी। काश्मीर का मसला हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऐसी सूरत में खड़ा है, जिसमें उन दोनों में दोस्ती नहीं बन पाती है। मैं यह महसूस करता हूं कि काश्मीर के बारे में मौजूदा सरकार ने कुछ मामलों में —यूनाइटेड नेशन्ज में जाकर ग़लती की, नहीं तो वह मामला, जो इस समय मौजूद है, शायद मौजूद नहीं होता। लेकिन यह एक ऐसी बात है, जिसके कहने का इस समय मौका नहीं है लेकिन अब वह दिन आ गया है कि जब काश्मीर के मामले में हमको सीधा और ठीक कदम उठाना चाहिये। इन्टग्रेशन का जो प्रासेस काश्मीरियों और काश्मीर के मामले में बाकी रह गया है, उसको शुरू करना चाहिये। सरकार सैंसस

एक्ट को काश्मीर में लागू करने जा रही है, इसकी हमें खुशी है और हम इस का स्वागत करते हैं लेकिन जो दूसरे पहलू छूटे हुये हैं, उन की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये, जिससे वहां पर सुप्रीम कोर्ट और इलैक्शन कमीशन की जूरिसडिक्शन लागू करने के सिलसिले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो सके ।

Shri Tangamani (Madurai) Sir, when the hon Minister moved for consideration of the Bill he stated that it is not a very controversial Bill And I do agree with him that it is not a very controversial Bill Not only that, it is a very welcome measure During this session we have passed similar amendments extening the provisions of the various legislative measures of this country to Jammu and Kashmir By this Bill we seek to extend the Census Act of 1948 to Jammu and Kashmir also

As he himself pomted out, a census was taken in Jammu and Kashmir in 1941 Owing to administrative and other difficulties it was not possible in 1951 But when census is going to be taken throughout the country now, it is not proper that Jammu and Kashmir should be left out of that

When Jammu and Kashmir acceded to the Indian Union, certain assurances were given and a certain measure of autonomy was enjoyed by Kashmir But the people knew that Kashmir is part and parcel of India and that Kashmir also will have to share the destiny of this country And gradually, with the consent of the people, step by step, the integration of Kashmir with this country has taken place Having done that, we are very happy to have representatives from Kashmir in this House

What I would like to raise in this connection is that many of the facilities and privileges enjoyed by the people in the rest of the Indian Union must also be extended to Kashmir We have received certain reports as to how far civil liberties are being denied to certain opposition parties Actually I wanted to raise it in this House, but unfortunately it was not admitted That would have clarified the position as to how far the allegation about lack of civil liberties among certain sections of the people is correct or not, because it is necessary that the House is taken into confidence When we are doing things which are perfectly legal and constitutional, we find that certain unconstitutional and illegal things are being done in the other parts The hon the Prime Minister referred to certain territories belonging to India being occupied by other countries Certainly, a portion of Kashmir which should also come under the purview of this Census Act is being occupied by some other countries Now they are constructing pucca roads to Gilgit There is difference between putting up a pucca road to Srinagar and Jammu from the Indian point of view and the construction of a pucca road to Gilgit Whereas one has got a military objective which is completely illegal, the other one has more the interests of the people of Kashmir at heart

In the course of the discussion on the supplementary demands which were also voted in this House, the hon Minister of Railways informed us that there is going to be a rail link which will be taken up seriously in the Third Five Year Plan So much so, there would be a rail link from Cape Comorin to Kashmir in the real sense of the term

Having said this, I would like to make one or two more observations before I conclude My hon friend Shri Baneriee referred to certain maps which appear in India Some of the foreign banking companies while publishing their balance sheets, in the cover page or in the last page publish a map of India also I had occasion to go through one of the balance sheets published by Grindlays and by the National Bank I find that the map of India shows Kashmir in a

[Shri Tangamani]

different colour, indicating that it is not part of India. I earnestly request the hon. Minister and the Government to see that such maps are not allowed to be distributed in this country. The other day, I believe it was on the 6th of this month, in answer to one of the questions the Parliamentary Secretary to the Minister of External Affairs stated that Her Majesty's Stationery Office has published a booklet where the map of India is given with Kashmir as a territory whose future or whose present is still undecided. We are also members of the Commonwealth, and when such things happen, not only should effective protests be lodged but we must also see that such maps or such propaganda is not allowed to be carried on in this country.

I really welcome that this measure is being taken at a very appropriate time, and I would like certain clarification from the hon. Minister when he replies. He said that there is no provision in the parent Act about framing of rules. Even though there is no provision for the framing of rules, is there not a provision for administrative directives or for issuing notifications? Is it an Act of such a nature that automatically the executive function also could take place? So, certainly there would be notifications issued by the Home Ministry. There would also be certain directives issued by the Home Ministry. So, whenever such things are done, although it may not come in the form of an amendment, what I would request the hon. Minister to do is to give an assurance to the House that whenever such notifications or directives are issued, copies will be laid on the Table of the House for the benefit of the Members, so that proper suggestions could be made which would be of help in so far as the efficient administration of the work to be done under this Act is concerned.

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक): सभापति जी, यह विधेयक बिल्कुल सीधा सा विधेयक था और इसका मंशा था कि जम्मू-काश्मीर में भी हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों के साथ-साथ गिनती की जा सके। इसके ऊपर बहस करते हुए कई किस्म की बातें कहीं गईं और यह जाहिर किया गया कि इधर जो साथी बैठे हैं, शायद वे काश्मीर के कायदे और कानून को बाकी हिन्दुस्तान की तरह बनाने में रोड़ा हैं। बात दर-असल यह है कि आप जानते हैं कि जब १९४७ में देश आजाद हुआ, तो हमारे यहां छः सौ रजवाड़े थे और ग्यारह सूबे थे—इधर यू० पी० था और उधर एक एक मील की रियासतें थीं। उन छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करते-करते हम वहां तक पहुंचे हैं, जो कि आज का हिन्दुस्तान है। यहां तक पहुंचते पहुंचते, आप जानते हैं, बम्बई में क्या हुआ। एक जिले को दूसरे जिले से मिलाते वक्त हमारे साथी सरकार का कितना साथ देते हैं और अगर इस देश को मजबूत बनाने के लिए कोई तजवीज की जाये, उसमें वे कितना साथ देते हैं, इस देश का इतिहास इसका शाहिद है।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा): देश जानता है।

चौ० रणबीर सिंह: देश जानता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आप भी इस देश के रहने वाले हैं और हम भी इस देश के रहने वाले हैं। बख्शी गुलाम मुहम्मद ने इस बात की कोशिश की —और आज भी कोशिश कर रहे हैं— कि काश्मीर को पूरे तौर पर, सोलह आने, हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों की तरह का सूबा बनाया जाय और उसी किस्म का इन्तजाम कायम किया जाय। अजीब हालत है कि बजाय इसके कि जिन साथियों ने काश्मीर

को हिन्दुस्तान का हिस्सा बनाने में इमदाद की, उनको याद किया जाता और उनको बधाई दी जाती, यहां कहा जाता है कि वहां सिविल लिबर्टीज नहीं हैं। शायद वे सिविल लिबर्टीज के मायने ये समझते हैं कि उनकी जो मरजी आये, वे कर सकें और अगर किसी दूसर आदमी को, या देश को, या प्रान्त को नुक्सान हो, तो उसकी परवाह नहीं। उनकी जो मंशा है, वह मंशा पूरी हो सके, तभी सिविल लिबर्टीज हैं। अगर दूसरे साथियों का कोई हक हो, उस हक को छीना जाय और वे समझें कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उस ज्यादती को रोकने के लिए अगर सरकार कोई काम करें, तो वे समझते है कि इसमें सिविल लिबर्टीज का घात हो गया है। काश्मीर में जो कार्यवाही की जाती है, या की गई है, या बाकी हिन्दुस्तान में की जाती है, या की गई है, वह इसलिए सारे देश–वासियों को सिविल लिबर्टीज हासिल हों। वैसे तो इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं चाहूगा कि बख्शी गुलाम मुहम्मद और नैशनल कांफरेस को हम इस वक्त बधाई दें कि उन्होने काश्मीर को इस देश का पूरे तौर पर—सोलह आने–हिस्सा बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाई।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर): सभापति जी, मै जन–गणना (संशोधन) बिल का स्वागत करती हूं। यह सदन अच्छी तरह जानता है कि लगभग ग्यारह वर्षों से काश्मीर में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और वहा की जनता और हुकूमत पर कितनी कठिनाइयां आई और उन्होंने कितनी योग्यता से उनका मुकाबला किया। इतनी कठिनाइया होते हुए भी उन्होंने हर क्षेत्र में बड़ी शान्ति से सब कार्य सम्हाला और जितना हो सका, उतना तरक्की का काम काश्मीर ने किया, जिससे कि वहां की गरीब जनता को बहुत फायदे हुए है। लेकिन दुःख होता है जब हम समय समय पर सुनते है कि काश्मीर में बहुत कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब हम वहा जाते हैं, तो हमें कोई ऐसी बात नहीं सुनाई देती है, लेकिन जब हम यहां आते है, तो यहां पर अजीब सी बातें सुनाई देती है। मैं तो सदन को कहूंगी कि उसको चाहिए कि वह वहां के प्रधान मंत्री, बख्शी गुलाम मुहम्मद, को हिम्मत दे, ताकि वे उन कठिनाइयो का और अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। इस वक्त काश्मीर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। यह बात किसी से छिपी हुई नही है कि समय समय पर वहा कितने हमले होते है और क्या कुछ होता है। मै कहूंगी कि फिर भी वहा की जनता बड़ी हिम्मत और शान्ति से रह रही है और हर एक बात का मुकाबला कर रही है। इस वक्त हम को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जो शोभा नही देती है और जिससे वहां की जनता और प्रशासन को दुख होता है। जहा हम ने इतने साल शान्ति से उन लोगों को हिम्मत दी वहां की गवर्नमेंट को हिम्मत दी, ताकि वे कठिनाइयों के वक्त मजबूती से काम करे तो अब थोड़े दिनों के लिए हम को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे उनको परेशानी हो। किसी भी राजनीति के प्रभाव में हमको सचाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमको वहां जा कर देखना चाहिए वहा कैसी तरक्की हो रही है और कैसी शान्ति से काम होता है। लेकिन कभी–कभी ऐसा होता है कि राजनैतिक प्रभाव में आ कर, जो सचाई है, हम उसको भूल जाते हैं और हम यह नही सोचते हैं कि क्या भला है और क्या बुरा है।

हमें खुशी है—और मैं इसके लिए जम्मू–काश्मीर की हुकूमत का भी धन्यवाद

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

करती हूं—कि उन्होंने उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के अधिकार को वहां लागू करके बहुत बड़ा काम किया है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): कहां लागू किया है?

एक माननीय सदस्य: करने वाले हैं।

श्रीमती कृष्णा मेहता: जैसे जैसे हमारी कठिनाइयां कम होती जायेंगी, हर बात में काश्मीर हिन्दुस्तान के नजदीक आता जायगा। वह हिन्दुस्तान का हिस्सा है—आज का नहीं, लाखों वर्षों से। हमें चाहिये कि हम उन लोगों को बतायें और उनकी हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ ऐसे कदम उठायें जिनसे कि वहां की जनता के जो दु:ख और कष्ट हैं। वे दूर हों और वहां की हकूमत की हिम्मत बढ़े।

मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है और साथ ही यह भी प्रार्थना करना चाहती हूं कि उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जो कि उस पार रह रहे हैं और बहुत दु:ख भोग रहे हैं। कभी-कभी उनकी याद काश्मीर की जनता को बहुत आती है और खास तौर पर मुझ को तो उस तरफ का बहुत ध्यान है और बहुत बार मेरा ध्यान उस तरफ जाता है। मैं चाहती हूं कि सरकार जहां तक हो सके, शान्ति के साथ उस काश्मीर के प्रश्न को सुलझाने के लिए जो भी कदम आवश्यक हैं, उठाये।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, जो जनगणना विधेयक पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारे पास पूरे तौर से आंकड़े नहीं हैं जिनसे पता चल सके कि काश्मीर आर्थिक दृष्टि से कितना उन्नत है, या कहां तक पिछड़ा हुआ है तथा जहां तक खेती का सम्बन्ध है, या शिक्षा का सम्बन्ध है या इसी तरह के दूसरे क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन क्षेत्रों में उसने कितनी तरक्की की है। इस जनगणना हो जाने के पश्चात् कम से कम हम यह तो देख ही सकेंगे कि वहां की जनता आर्थिक दृष्टि से कितनी उन्नत है, वहां की जनता ने कृषि के क्षेत्र में अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है। वैसे देखने में तो आया वहां की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा कृषि के क्षेत्र मे बहुत से क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। भूमि सुधारो के बारे में वहा जो कानून बनाया गया है वह हमारे यहां के कानून से बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, उस क्षेत्र मे भी उन्होंने अपने यहां नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध किया हुआ है जब कि आज हम अपने यहा पर अभी यह सोच ही रहे हैं कि ११ या १४ वर्ष तक के आयु के बच्चो के लिए हम नि शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध करें। वहां पर यह चीज हो गई है।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बाते हैं, जो वहां पर तेजी से की गई है। उन सभी बातों को मैं समझता हूं इस जनगणना होने के पश्चात् हमे पता चला जाएगा।

एक यह बात भी है कि काश्मीर एक पहाड़ी प्रदेश है और वहां पर जो गांव बसे हुए है वे बहुत दूर-दूर बसे हुए हैं, बीहड़ में बसे हुए हैं। प्राय: देखने मे आता है कि जो जनगणना अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं।

मैंने कई बार देखा है कि जनगणना करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वे जाते तो हैं लेकिन जा करके कहीं पर अगर दरवाजा बन्द देखते हैं तो चले आते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जनगणना सही नहीं होती है। कई बार ऐसी भी देखा जाता है कि दो व्यक्ति होते हैं तो अपनी ही तरफ से सात लिखे देते हैं। इस तरह से संख्या का अनुमान लगा लिया जाता है, और इस तरह का अनुमान प्राय: गलत ही होता है। मैं चाहता हूं कि जो जनगणना हो उसमें पूरे तौर से और सही जानकारी हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिये। वहां पर कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों ने कितनी उन्नति की है, दूसरे क्षेत्रों में कितनी उन्नति की है, ये सब बातें सही तौर पर हमारे सामने आनी चाहिये।

एक यह बात भी है कि जो हरिजन वहां बसे हुए हैं, उनकी तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की स्थिति के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हमारे पास आनी चाहिये। साथ ही साथ जिस तरह से पिछली जनगणना में बहुत सी जातियां रह गई थीं, बहुत सी जातियों को सम्मिलित नहीं किया गया था, वैसा काश्मीर के सम्बन्ध में नहीं होना चाहिये। साथ ही साथ एक जगह की लिस्ट लेकर दूसरी जगह के लिए उसको काम में भी नहीं लाया जाना चाहिये। पिछली बार देखा गया था दिल्ली के लिए पंजाब की लिस्ट को काम में ले लिया गया था और इसका नतीजा यह हुआ था कि दिल्ली के बहुत से हरिजन छूट गये थे। ऐसी कोई बात वहां के हरिजनों के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जो लिस्ट काश्मीर के हरिजनों की हो, उसी को ले करके आप पूरे तौर से बतायें कि वहां पर कितने हरिजन हैं और उनकी आर्थिक अवस्था कैसी है और वे किसी स्थिति में हैं, इत्यादि।

112 (Ai) LSD.—8

Shri Datar: I am grateful to the hon. Members who have taken part in the debate for the unqualified support that they have given to the provisions of this Bill. A number of hon. Members have made certain suggestions some of which do not exactly come within the purview of the present debate. All that we are here concerned with is to have the Census Act of 1948 made applicable to the State of Jammu and Kashmir so as to facilitate the holding of census operations in 1961 in the State of Jammu and Kashmir also. Therefore, I would only make a passing reference to some of the points that hon. Members have raised.

16.43 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

As you are aware, under the Constitution, the State of Jammu and Kashmir is a State in India, is an integral part of India. That has been made clear in the articles as also in the First Schedule of the Constitution. Therefore, there need be no misgivings at all about the fact that Kashmir is always a part of India, and Kashmir has always been treated as such, subject to certain reservations, certain provisions that were made in article 370 of the Constitution by the Constituent Assembly. There, it has been pointed out that the concurrence of the State Government is essential under certain circumstances. It is not necessary at this stage to go into the question why there ought to have been such a reservation at all. It is a matter not only of historical happening but it is a matter which constitutionally also has been properly settled.

All the same, may I point out to this House that the integration of Jammu and Kashmir has been progressing in a fairly satisfactory manner? In 1954, we had the President's Order issued with the concurrence of

[Shri Datar]

the Government of Jammu and Kashmir, according to which a number of items in the Union List were made applicable. The President's Order issued only this year and the present Bill are further steps in the direction of integration.

In all these cases, we have to proceed according to the provisions of the Constitution, and I am happy to point out to this House that the State of Jammu and Kashmir and the Government of India are carrying on their work in a highly progressive and cordial manner.

Some hon. Members referred to what they stated as certain rumours or certain complaints. The hon. lady Member has pointed out how the present Prime Minister of Jammu and Kashmir has been carrying on the work in a highly progressive and satisfactory manner, in spite of the difficulties that sometimes he has to surmount. Therefore, our sympathies have to go to him ; our congratulations also have to go to the Government of the State of Jammu and Kashmir. I may point out that during the last few years, the conditions there have far improved, the popular Government there is carrying on very satisfactorily, and what my hon. friend Shri Tangamani and some others suggested is not true at all. He contended that in some cases civil liberties were denied. I am afraid my hon. friend's information is entirely wrong. Everywhere, you will find that there are signs and indications of progress; there are signs and indications of a welfare State there, being carried on in as satisfactory a manner as in the rest of India. The Government of India also have been doing whatever is necessary for bringing the State of Jammu and Kashmir to the same state of progress and enlightenment as we are striving to have in the other parts of India. Therefore, let us all wish well the State of Jammu and Kashmir; and I am confident, as some hon. Members have rightly pointed out, that this is a further step towards the integration of Jammu and Kashmir with the rest of India.

Two points were further made by an hon. Member, regarding the jurisdiction of the Supreme Court as also the Election Commission. So far as that matter is concerned, I have already told the House that now the decision that has been taken is at the party level; after that, the matter has to go before the State Legislature, and the Government of Jammu and Kashmir will thereafter take up the matter with us and then we shall be very happy, and the President will be very happy, in due course, to have proper provisions made in this connection.

Another hon. Member has suggested that so far as the rules are concerned, whenever they are made, they should be placed on the Table of the House. May I point out in this connection that though the rule-making power is there under section 18, yet no rules were found to be necessary, because, as I have stated, the matter has to be dealt with more or less at the administrative level? It is a question of holding census, and making preparations for holding census, and, therefore, the question does not come up to that level where certain rules have to be made. All the same, whenever rules are made, if and when they are made, then the suggestion that has been made by hon. Members will surely be kept in view.

One Member suggested that even notifications should be placed on the Table of the House. That is not within the purview of subordinate or delegated legislation. All that has been now very rightly evolved is that whenever rule-making powers are entrusted to Government, then, naturally, those rules should be subject to the obligation of being placed before the Houses of Parliament. Now, such a contingency has not arisen. But, in case Government have to make rules, certainly, this suggestion that the hon.

Member has placed before us will be duly taken into account

Then, my hon. friend Shri Naval Prabhakar suggested that the conditions of the Harijans also should be looked after. May I point out to him that the Government of the State of Jammu and Kashmir have already been doing whatever is necessary. I believe that the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribe had once gone to Kashmir with a view to find out what the conditions of the Scheduled Castes were, and also the conditions of the Scheduled Tribes, if any were there The interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are always very near our heart, and the State of Jammu and Kashmir are also looking after them as well as possible.

I would not deal with the larger questions which were raised incidentally, because they are beyond the purview of the present Bill All the same, I welcome the support, the unanimous support, that has been forthcoming from all sections of the House, and I am confident that we shall have successful census operations in Jammu and Kashmir

May I point out that the wealth of statistical and other information that is collected during the census is of great value and has a great bearing upon the development of the country during the next ten years? Therefore, I am looking forward to the collection of full materials, statistical tables and others. not only in respect of the rest of India but also in respect of Jammu and Kashmir, and that will be of great use in increasing the tempo of development in that part of India as well

Mr. Deputy-Speaker: The question

"That the Bill further to amend the Census Act, 1948, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The only amendment tabled is by Shri Aurobindo Ghosal and Shri Mohammed Imam Both are absent. Therefore, that goes

The question is.

"That Clauses 1, 2, 3, the Title and the Enacting Formula stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3, the Title and the Enacting Formula were added to the Bill

Shri Datar: I beg to move:

"That the Bill be passed"

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.

16·53 hrs

MOTION RE EIGHTH REPORT OF U P S C.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I beg to move

"That this House takes note of the Eighth Report of the Union Public Service Commission, laid on the Table of the Lok Sabha on the 24th November, 1958"

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): May I enquire how much time has been fixed for this?

Mr. Deputy-Speaker: Four hours.

Shri Datar: You are aware that Parliament has from time to time